(6)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4077—तीन/2013 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 15—10—2013 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 1402/अपील/2011—12.

.....

1—केमला पटेल पिता रामसेवक पटेल
2—रामसजीवन पटेल पिता रामसेवक पटेल
3—वशिष्ठ पटेल पिता रामसेवक पटेल
4—बृजवासी पटेल पिता रामसेवक पटेल
5—फूलवती पटेल पिता महाबीर पटेल
निवासीगण ग्राम पुर्वी तहसील मनगवां
जिला रीवा म0 प्र0

—— आवेदकगण

विरूद्ध

1—बंशपती पटेल पिता रामहित पटेल
2—रामप्रताप पटेल पिता रामहित पटेल (मृत)
वरिसानः—
क—रामकली पत्नी रामप्रताप पटेल
ख—द्रोपदी पुत्री रामप्रताप पटेल
ग—राजकुमार पटेल पिता रामप्रताप पटेल
घ—मानसी पुत्री रामप्रताप पटेल
निवासीगण ग्राम पुर्वी तहसील मनगवां
जिला रीवा म0 प्र0
3—लालमणि पटेल पिता रामहित पटेल
4—कैलाश पटेल पिता रामहित पटेल
निवासीगण ग्राम पुर्वी तहसील मनगवां
जिला रीवा म0 प्र0

——अनावेदकगण

.....

श्री राजेन्द्र पाण्डे, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री संतोष कुमार मिश्र,''रत्नमाला''अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

आदेश
(आज दिनांक 10-01-2018 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–10–2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आराजी कमांक 678/376 रकवा 0.20 डि0 स्थित ग्राम पुर्वी की आराजी को रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर आवेदकगण के पिता रामसेवक ने महाबी जो आवेदकगण कमांक–5 के पिता से दिनांक 6.3.1975 को कय किया था लेकिन आवेदकगण रजि0 विकय पत्र में दर्ज आराजियों का नामांतरण करा लिया लेकिन आराजी नम्बर 678/376 नामांतरण कराने से छूट गई। आवेदकगण द्वारा उक्त आराजी का नामांतरण कराने हेतु तहसीलदार के न्यायालय में आवेदन दिया गया, नायब तहसीलदार सर्किल गढ तहसील मनगवां जिला रीवा के प्रकरण कमांक 19/अ–6/2010–11 में आदेश दिनांक 12.5.11 द्वारा नामांतरण करने के आदेश दिये गये। जिससे परिवेदित होकर अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मनगवां जिला रीवा के यहा अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी मनगवां जिला रीवा ने आदेश दिनांक 10.7.12 को अपील स्वीकार की गई । इससे दुखित होकर आवेदकगण द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 15.10.13 को निरस्त की गई इसी से परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस प्रस्तुत की गई है। लेखी बहस में आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा लेख किया गया है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने यह माना

है कि आराजी कमांक 678 रकवा 0.20 डिस0 रजिस्टर्ड विकय पत्र में अंकित नहीं है। जबकि उक्त आराजी स्पष्ट रूप से अंकित है इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश निरस्तगी योग्य है। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा यह भी लेख किया गया है कि अपर आयुक्त रीवा द्वारा यह माना गया है कि नायब तहसीलदार द्वारा नामांतरण नियमों का पालन नहीं किया गया है तो प्रकरण को प्रत्यावर्तित कर सकते थे, उस समय भू–राजस्व संहिता में संशोधन भी नहीं हुआ था। अनावेदकगण द्वारा पूरे प्रकरण में यह नहीं बताया गया है कि उक्त आराजी पर उनका स्वत्व व हित किस प्रकार से है और न ही अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त किये थे लेकिन अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा उक्त विधिक बिन्दु को नहीं देखा गया और न ही अपर आयुक्त रीवा द्वारा उक्त बिन्दुओं को ही देखा गया है। अनावेदकगण द्वारा अन्य प्रकरण में यह कहा जाता है कि उक्त विवादित आराजी का नामांतरण उनके द्वारा पूर्व में करा लिया गया है तो उसको देखने से स्पष्ट होता है कि विवादित आरीजी 678 ही है। इसी कारण वह भूलवश 678/376 दर्ज हो गया है। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा बहस में यह भी कहा गया है कि रकवा मात्र 0.20 डि0 है जिसका रजिस्टर्ड विकय पत्र के द्वारा कय किया गया है तो उसके इतन बटे नम्बर भी कायम नहीं किये जा सकते है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जावे तथा अपर आयुक्त रीवा तथा अनुविभागीय अधिकारी मनगवां जिला रीवा के आदेश निरस्त कर विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी लेखी बहस प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि उक्त भूमि का कुल रकवा 0.52 ए0 भूमिस्वामी अनावेदक के मूरिसान (पूर्वज) थे जिसकी कहीं कोई अपील/निगरानी आज तक नहीं की गई है। आवेदकगण द्वारा नामांतरण का प्रकरण तहसील में लगाया तब भी अनावेदकगण खसरे में भूमिस्वामी दर्ज थे लेकिन अनावेदक को कोई सूचना सम्मन नहीं कराया गया कोई इश्तहार जारी नहीं किया गया। तहसील न्यायालय में आवेदकगण का ममला था किवह उक्त भूमिका अंश रकवा 0.20 ए0 का तारीख 6.3.1975 को रजिस्टर्ड विकय पत्र से अनावेदकको मूरिसान से खरीा है परन्तु दिनांक 6.3.1975 के किसी विकय पत्र में भूमि नं0 678/376 दर्ज ही नहीं है। अनावेदक को प्रकरण में पक्षकार

बनाया गया परंतु कोई सम्मन सूचना नहीं भिजवाया गया, बल्कि सारी फर्जी कार्यवाही करते हुये एक ही दिन में फर्जी नामांतरण नायब तहसीलदार वृत्त गढ़ से जरिये प्रकरण क्रमांक 19/अ–6/2010–11 आदेश दिनांक 12.5.2011 को करा लिया। नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 12.5.11 के अनुविभागीय अधिकारी मनगवां जिला रीवा के यहां अनावेदक द्वारा अपील की गई जिस पर अनुविभागीय अधिकारी मनगवां जिला रीवा ने अपील प्रकरण क्रमांक 1/अ–6/2011–12 आदेश दिनांक 10.7.12 के आवेदक पक्ष द्वारा कराये गये फर्जी नामांतरण मानते हुये निरस्त कर दिया व अपर आयुक्त रीवा ने भी जरिये प्रकरण क्रमांक 1402/अपील/2011–12 आदेश दिनांक 15.10.13 आवेदकगण की अपील निरस्त करते हुये माना व पाया है कि विकय पत्र में विवादित भूमि नं0 678/366 दर्ज ही नहीं है फिर भी बिना दस्तावेज के आवेदक के पक्ष में फर्जी नामांतरण किया गया है व नामांतरण नियमों का कोई पालन नहीं किया गया। अंत में अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा बहस में कहा गया है कि रजिस्टर्ड दस्तावेज का भी प्रभाव मात्र 12 वर्ष तक ही रहता है और यदि आवेदक के पक्ष में रजिस्टर्ड विकय पत्र था भी तो धारा 109, 110 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता के अधीन विकय पत्र निष्पादन के 6 माह के भीतर नामांतरण का मामला लाना चाहिये था। अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अंत में अनुरोध किया गया है कि आवेदकगण की निगरानी निरस्त की जाकर अपर आयुक्त रीवा व अनुविभागीय अधिकारी मनगवां जिला रीवा का आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया है।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण की लेखी बहस का अध्ययन किया गया। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का परिशीलन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी मनगवां जिला रीवा के आदेश दिनांक 10.7.12 का अवलोकन किया गया जिसमें लेख है कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण का अवलोकन व परिशीलन किया गया। जिसमें पाया कि आवेदक द्वारा जिस भूमि खसरा नं0 678/376 रकवा 0.20 डि0 का रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 6.3.1975 के माध्यम से नायब तहसीलदार मनगंवा द्वारा आवेदक केमला प्रसाद पटेल आदि के नाम भूमि दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है उक्त भूमि रजिस्टर्ड विकय पत्र में अंकित है ही नहीं। इससे स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार मनगंवा द्वारा बिना

किसी अभिलेख के अवलोकन व किसी पक्षकार को बिना सूचना दिये ही विधि विरूद्व आदेश पारित किया गया है। विधि विरूद्व आदेश पारित होने से अनुविभागीय अधिकारी मनगवां जिला रीवा द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.7.12 से निरस्त किया गया है, अपर आयुक्त रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 1402/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 15.10.13 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी मनगवां जिला रीवा का आदेश स्थिर रखा गया है।

6– मेरे द्वारा नायब तहसीलदार के प्रकरण का अवलोकन किया गया जिसमें प्रथम आदेश पत्रिका दिनांक 2.5.2011 को लेख किया गया है और दूसरी आदेश पत्रिका दिनांक 12.5.11 को लेख कर नामांतरण के आदेश दिये गये है जबकि पृष्ठ 6 से 17 संलग्न रजिस्टर्ड विकय पत्र की प्रति के अवलोकन से उसमें उक्त आराजी कमांक अंकित है ही नहीं। इससे स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार मनगंवा द्वारा अपने नामांतरण आदेश दिनांक 12.5.11 में विधिक त्रुटि की है जिससे अनुविभागीय अधिकारी मनगवां जिला रीवा द्वारा आदेश दिनांक 10.7.12 से निरस्त करने में कोई भूल नहीं की गई है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 1402/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 15.10.13 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर